समक्ष एस.एस संधावलिया, मुख्य न्यायमूर्ति और एस.एस

सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति।

पुन्नु टूरिस्ट सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड, - याचिकाकर्ता।

बनाम

गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़, – प्रतिवादी

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 4101

06 अप्रैल, **1983**

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 14 और 226-परिवहन कंपनियों और बुकिंग एजेंसियों को चंडीगढ़ प्रशासन के साथ किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने से काली सूची में डाल दिया गया-इन पार्टियों को काली-सूची में डालने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-चाहे उल्लंघन किया गया हो-काली-सूची में डालने का आदेश -क्या रद्द किया जा सकता है।

अभिनिर्णित, कि काली सूची में डालने के आदेश में नागरिक परिणाम शामिल हैं। इससे कलंक लगता है. यह लेन-देन के मामले में काली सूची में डाले गए व्यक्तियों और सरकार के बीच एक बाधा उत्पन्न करता है। ब्लैक-लिस्ट जबरदस्ती के साधन हैं। ब्लैक-लिस्टिंग का प्रभाव किसी

व्यक्ति को लाभ के प्रयोजनों के लिए सरकार के साथ वैध संबंध में प्रवेश करने के विशेषाधिकार और लाभ से रोकना है। तथ्य यह है कि ब्लैक-लिस्टिंग के आदेश से विकलांगता पैदा होती है, यह दर्शाता है कि संबंधित प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होनी चाहिए। निष्पक्ष खेल के मूल सिद्धांतों की आवश्यकता है कि संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले उसे अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां ऐसा कोई अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित किया जाता है, उसे कानून के विपरीत माना जाना चाहिए और तदनुसार रद्द किया जाना चाहिए।

(पैरा ***9, 10*** और ***13)***

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि माननीय न्यायालय परमादेश, उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने की कृपा कर सकता है, गृह सचिव चंडीगढ़ प्रशासन को याचिकाकर्ता का नाम 9 आक्षेपित आदेश/मेमो अनुलग्नक पी-1 में हटाने के लिए आदेश या निर्देश दे सकता है।

*आगे प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को नोटिस देने और अनुबंध पी-***1** *की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए।*

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान विवादित मेमो/ऑर्डरएनेक्सचर पी-एल के संचालन पर

रोक लगाई जाए और प्रतिवादी को इसे लागू न करने का निर्देश दिया जाए।

आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि कोई अन्य राहत जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, वह भी दी जा सकती है। याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के लिए वकील आर. सी. डोगरा और वकील एस. एस. चोपड़ा।

प्रतिवादियों की ओर से एम. आर. अग्निहोत्री**, **वरिष्ठ अधिवक्ता**, **अनिल सेठ और ओ. पी. गोयल**, **अधिवक्ता।

निर्णय

एस.एस सोढ़ी, मुख्य न्यायमूर्ति।

(1) 30 अगस्त, 1982 को केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के गृह सचिव ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागों और कार्यालयों के प्रमुखों को एक आदेश (अनुलग्नक पी/1) जारी किया कि उसमें उल्लिखित किसी भी परिवहन कंपनी या बुकिंग एजेंसी द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी। अवकाश यात्रा रियायत दावों के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान के मामले में विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने ऐसी परिवहन कंपनियों और बुकिंग एजेंसियों को चंडीगढ़

प्रशासन या उसके किसी भी अधीनस्थ कार्यालय के साथ किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने से ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया था। पांच वर्ष की अवधि के लिए. इस आदेश में उल्लिखित परिवहन कंपनियों में याचिकाकर्ता-पुन्नू टूरिस्ट सर्विस (पी) लिमिटेड और साईं यात्रा (पंजीकृत) चंडीगढ़ शामिल थीं।

(2) संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत पुन्नू टूरिस्ट सर्विस (पी) लिमिटेड और साई यात्रा (पंजीकृत) दोनों ने गृह सचिव के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाएं दायर की थीं (अनुलग्नक पी/1)। पूर्व द्वारा दायर याचिका, ऊपर उल्लिखित है, जबकि साईं यात्रा (पंजीकृत) की याचिका 1982 की सिविल रिट संख्या 4100 है। यह आदेश इन दोनों रिट याचिकाओं का निपटान करेगा क्योंकि इसमें सामान्य प्रश्न उठाए गए थे और परिणामस्वरूप वे थे एक साथ सुना.

(3) याचिकाकर्ताओं के अनुसार आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा उन्हें काली सूची में डालने के नागरिक परिणाम शामिल थे, जिससे वे चंडीगढ़ प्रशासन, उसके अधीनस्थ कार्यालयों के साथ वैध व्यापार लेनदेन में प्रवेश करने के लाभ और विशेषाधिकार से वंचित हो गए। और कर्मचारी. इसके अलावा इससे उनके अच्छे नाम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगा। यह दलील दी गई कि गृह सचिव का यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के नियमों का भी उल्लंघन है, क्योंकि विवादित आदेश से पहले उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। पारित

किया गया जो कि कानून के विपरीत था। इस प्रकार जिस राहत का दावा किया गया वह गृह सचिव के इस आदेश को रद्द करना था।

(4) इस मामले में दायर रिटर्न में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गृह सचिव द्वारा लिया गया रुख यह था कि विवादित आदेश एक गैर-वैधानिक योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत को विनियमित करने के लिए पूरी तरह से एक प्रशासनिक मामला था। चार्टर्ड बसों द्वारा यात्रा को कवर करने की इस रियायत के उदारीकरण से इसकी ट्रेन का व्यापक दुरुपयोग हुआ। अक्टूबर, 1980 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी से पता चला कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भीतर और बाहर परिवहन बुकिंग एजेंसियों द्वारा लाखों रुपये की फर्जी और फर्जी रसीदें जारी की गईं। चार्टर्ड बस द्वारा किसी भी वास्तविक दौरे की व्यवस्था किए बिना, ऐसी एजेंसियों द्वारा ऐसी रसीदों के अंकित मूल्य का केवल 20 या 30 प्रतिशत चार्ज करके रसीदें जारी की जा रही थीं। लगभग रु. का दावा. अगस्त, 1980 तक छुट्टी यात्रा रियायत के रूप में 75,000 प्रति माह का भुगतान किया गया था, लेकिन घोटाले का खुलासा होने पर, दावा घटकर केवल रु. रह गया। सितंबर 1980 से 1500 प्रति माह। इस प्रकार समीचीनता के लिए रियायत के दुरुपयोग को तत्काल रोकने की आवश्यकता थी और संबंधित बुकिंग एजेंसियों की ब्लैक-लिस्टिंग को अपनाने के लिए वांछनीय पाठ्यक्रम माना गया था। आक्षेपित निर्देश तदनुसार विभागों एवं कार्यालयों के मार्गदर्शन हेतु जारी किये

गये थे। ये निर्देश राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए थे और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता इस न्यायालय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार को लागू करने के हकदार नहीं थे।

(5) रिटर्न में यह भी कहा गया कि गृह सचिव द्वारा विवादित आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता-कंपनी, पुन्नू टूरिस्ट सर्विस (पी) लिमिटेड को विधिवत सुना गया था।

(6) इसके अलावा, पुन्नू टूरिस्ट सर्विस (पी) लिमिटेड के मामले में, यह कहा गया था कि सरकारी प्रेस के चार कर्मचारियों द्वारा किए गए अवकाश यात्रा रियायत दावों की जांच में, इस कंपनी द्वारा जारी की गई कुछ रसीदों पर गृह द्वारा विचार किया गया था। सचिव। इस पूछताछ में, यह दिखाया गया कि यात्रियों की कोई सूची दर्ज नहीं की गई थी, जैसा कि एक विशेष परमिट एचटीई एमिउराटा क्रेडिट चंदेई लाओट यात्रा के लिए आवेदन करते समय आवश्यक था, संबंधित कर्मचारी क्यूसिन एडैस्टन ने राज्य में केवल दो चेक-पोस्ट के रबर स्टैम्प लगाए थे। हरियाणा के कुंडली और धूलकोट; जबकि इस कंपनी द्वारा उत्पादित परमिट की फोटोस्टेट प्रतियों पर मध्य प्रदेश के विभिन्न चेक-पोस्टों का पृष्ठांकन भी था। हालाँकि, केरल या तमिलनाडु राज्यों से संबंधित कोई समर्थन नहीं था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का विधिवत सामना किया गया, लेकिन उन्होंने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। बताया गया कि उनके द्वारा नियोजित संबंधित

बस के टूरिस्ट गाइड, ड्राइवर और कंडक्टर के नाम और पते का भी खुलासा नहीं किया गया।

(7) साई यात्रा (पंजीकृत) द्वारा दायर रिट याचिका में दायर रिटर्न भी उसी प्रभाव का था, सिवाय इसके कि इस मामले में कोई दलील नहीं दी गई थी कि विवादित आदेश पारित होने से पहले कोई सुनवाई की अनुमति दी गई थी।

(8) पुन्नू टूरिस्ट सर्विस (पी) लिमिटेड को सुनवाई की अनुमति देने की प्रतिवादी गृह सचिव की याचिका को याचिकाकर्ताओं के वकील श्री आर.सी. डोगरा ने जोरदार चुनौती दी। उन्होंने इस संबंध में गृह सचिव द्वारा दायर लिखित बयान के अनुलग्नक आर/5 और आर/6 का उल्लेख किया और सही बताया कि इन दस्तावेजों को पढ़ने से पता चलेगा कि याचिकाकर्ताओं को केवल दावों की जांच के संबंध में बुलाया गया था। सरकारी प्रेस के चार कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री एम. आर. अग्निहोत्री, आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ताओं को दी गई सुनवाई के संबंध में लिखित बयान में उठाई गई दलील को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य सामग्री का संकेत नहीं दे सके। इसलिए यह स्थापित माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले मामले में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(9) ब्लैक-लिस्टिंग से संबंधित मामला मेसर्स एरुसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष

विचार के लिए आया, जहां यह देखा गया कि "ब्लैक-लिस्टिंग आदेश में शामिल है नागरिक परिणाम। यह संदेह पैदा करता है। यह लेन-देन के मामले में काली सूची में डाले गए व्यक्तियों और सरकार के बीच एक बाधा पैदा करता है। काली सूची 'जबरदस्ती के साधन' हैं।

(10) आगे यह देखा गया कि "ब्लैक-लिस्टिंग का प्रभाव किसी व्यक्ति को लाभ के लिए सरकार के साथ वैध संबंध में प्रवेश करने के विशेषाधिकार और लाभ से रोकना है। यह तथ्य कि ब्लैक-लिस्टिंग के आदेश से विकलांगता पैदा होती है, यह दर्शाता है कि संबंधित प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ संतुष्टि प्राप्त करनी होती है। निष्पक्ष खेल के मूल सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले उसे अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

(11) इरुशियन इक्विपमेंट केस (सुप्रा) का जोसेफ विलंगंडन बनाम कार्यकारी अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.) एर्नाकुलम और अन्य, (2) के बाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पालन और अनुमोदन किया गया था।

(12) प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री एम. आर. अग्निहोत्री ने वर्तमान मामले में ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के दो प्राधिकारियों से इस तथ्य को उजागर करते हुए अंतर

निकालने की मांग की कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं या अनुमोदित परिवहन कंपनियों की कोई सूची तैयार की गई थी जिसमें से याचिकाकर्ताओं को बाहर करने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया कि यह केवल चंडीगढ़ प्रशासन का मामला था, जो अन्य व्यक्तियों की तरह यह निर्णय ले रहा था कि किससे निपटना है।

(13) ऊपर उल्लिखित अधिकारियों में सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यकारी मिसाल में व्यक्त स्पष्ट भाषा के सामने ऐसा कोई भेद नहीं है, जैसा कि वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं के वकील द्वारा इसे दायरे और दायरे से बाहर निकालने की मांग की गई थी। उसमें निर्धारित सिद्धांतों को कायम रखा जा सकता है। इस मामले को अब अच्छी तरह से सुलझा लिया जाना चाहिए कि यदि सरकार किसी कंपनी या फर्म को ब्लैक-लिस्ट करने का निर्णय लेती है, तो ऐसा आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को ऐसा कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया आक्षेपित आदेश कानून के विपरीत माना जा सकता है और तदनुसार रद्द किया जाता है। अत: ये दोनों रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा